राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक अंक 51 जनवरी – मार्च 2015 सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

बजट समाचार का यह अंक राज्य एवं संघीय सरकारों द्वारा वर्ष 2015–16 का बजट पेश किये जाने के पूर्व आ रहा है। इस समय राज्य तथा संघीय सरकारों के वित्त विभागों/मंत्रालयों द्वारा बजट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक समुहों एवं व्यापार संघों के अलावा सामाजिक संस्थाओं के विचारों को भी सुनना आरंभ कर दिया है। इस वर्ष भी भारत सरकार ने कुछ चुने हुए सामाजिक संस्थाओं के साथ एक बजट पूर्व बैठक किया जिसमें संस्थाओं ने वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली के समक्ष अपने विचार रखे। साथ ही वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन भी आमजनों से बजट 2015–16 पर विचार एवं सुझाव मांगे। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी एक बजट पूर्व बैठक बुलाई जिसमें माननीया मुख्यमंत्री ने संस्थाओं के सुझाव जाने तथा साथ ही राज्य सरकार ने भी ऑनलाइन सुझाव मंगवाये।

सरकारों द्वारा बजट से पूर्व आमलोगों की राय को जानने तथा उन्हें बजट प्रक्रिया में सीमित रूप से ही सही सहभागिता करने के ये अवसर निश्चित ही स्वागत योग्य हैं।

जयपुर तथा जोधपुर में बार्क ने दो बजट पुर्व कार्यशालाओं का आयोजन किया तथा इन बैठकों में शामिल संस्थाओं एवं जन संगठ़नों के प्रतिनीधियों से चर्चा कर ''राज्य बजट 2015–16 से मांगे एवं सुझाव'' तैयार कर ऑनलाइन तथा व्यक्तिगत रूप से सरकार को पेश किया। राज्य बजट 2015–16 से मांगे तथा सुझावों को संक्षिप्त रूप से बजट समाचार के इस अंक में दिया जा रहा है।

बजट के संदर्भ में सरकारों द्वारा दिखाये जा रहे इस खुलेपन में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली पैरवी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस संदर्भ में बजट समाचार के इस अंक में देश में बजट को लेकर की जा रही पैरवी पर एक आलेख भी दिया गया है। साथ ही इस अंक में राज्य के जेण्डर बजट विवरण 2014–15 का विश्लेषण भी दिया गया है। बार्क पिछले तीन वर्षो से, जब से राज्य सरकार ने जेण्डर बजट विवरण देना आरंभ किया है, इसका विश्लेषण तथा समीक्षा करता रहा है तथा इसमें सुधार के लिये सुझाव भी सरकार के सामने रख रहा है। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार इस वर्ष जेण्डर बजट विवरण को अधिक व्यस्थित रूप से रखेगी।

हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में न्युनतम मजदूरी की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देर से आये इस फैसले से राज्य के असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूरों को लाभ मिलेगा लेकिन मनरेगा योजना को इस वृद्धि से बाहर रखा गया है। देश भर में संगठन मनरेगा की मजदूरी को न्युनतम मज़दूरी के समान करने की मांग करते रहे हैं। परन्तु इस पर फैसला केन्द्र सरकार को करना है जो शायद सर्वोच्च न्ययालय के फैसले का इन्तजार कर रही है।

परन्तु हाल ही में भारत सरकार ने एक अध्यादेश लाकर पिछली सरकार द्वारा 2013 में पारित भुमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन कर पांच प्रकार की परियोजनाओं को खाद्य सुरक्षा, अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभावों का अध्ययन तथा निजि– सार्वजनिक परियोजनाओं के मामले में प्रभावितों की सहमति लेने के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है। जाहिर है ऐसा सरकार द्वारा देशी–विदेशी उद्योगों को फायदा देने तथा उनकी परियोजनाओं के लिये आसानी से भुमि उपलब्ध कराने के लिये किया गया है। महत्त्वपूर्ण यह है कि 13 केन्द्रीय कानूनों के अंतर्गत किये गये भूमि अधिग्रहण को पहले ही इस कानून के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। अब इन पांच प्रकार की बड़ी परियोजनाओं को भी छुट देने का अर्थ है, इस कानून को केवल बडे मुआवजे तक सीमित कर देना।

हालांकि यह अध्यादेश अभी से लागू हो गया है लेकिन सरकार को इसे 6 महीने के अन्दर संसद की दोनों सदनों में पारित करवाना होगा। एक वर्ष पूर्व पारित किये गये इस कानून को, जिसे भाजपा सहित सभी दलों ने समर्थन किया था, बिना किसी ठोस कारण के इस प्रकार अध्यादेश द्वारा संशोधित किया जाना समझ के परे है। अब देखना यह है कि सरकार जब संसद में अध्यादेश को पारित करने का प्रयास करती है, तब संसद द्वारा क्या रूख अपनाया जाता है।

राज्य की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी : नरेगा श्रमिकों को रखा बाहर

राजस्थान सरकार ने आखिरकार पिछले लम्बे समय से अटके न्युनतम मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसकी राजकीय अधिसूचना सरकार ने 28 जनवरी 2014 को जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फायदा एक वर्ष पहले से अर्थात 1 जनवरी 2014 से देना तय किया गया है।

राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 51 अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत हजारों अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों को फायदा मिलेगा। इस बढ़ोतरी में सरकार ने श्रमिकों को प्रतिदिन 23 रूपये (13.85 प्रतिशत) अधिक मजदूरी देना तय किया है। जिसको निम्न सारणी से श्रमिक श्रेणी के आधार पर प्रतिदिन एवं प्रतिमाह के अनुसार समझा जा सकता है।

श्रमिक श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन		न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह	
	पहले	अब	पहले	अब
अकुशल	166 रू.	189 रू.	4316 रू.	4914 रू.
अर्द्धकुशल	176 रू.	199 रू.	4576 रू.	5174 रू.
कुशल	186 रू.	209 रू.	4836 रू.	5434 रू.
उच्च कुशल	236 रू.	259 रू.	6136 रू.	6734 रू.

स्रोतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक, अधिसूचना

नोटः मासिक मजदूरी की गणना 26 दिवस के अनुसार की गई है।

राजस्थान सरकार ने लम्बे समय बाद श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में ईजाफा तो किया है लेकिन पिछली सरकार की तरह नई सरकार भी शायद न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को लेकर अपनी देरी मान रही है। जिसकी वजह से पिछली सरकार ने 5 माह पूर्व से तथा नई सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फायदा देने की बात कही गई है खैर देर आये दुरूस्त आये। लेकिन अब सरकार तथा श्रम विभाग पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को ठीक से लागू करने की है।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिसूचना में महानरेगा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी के लाभ से बाहर रखा गया है। मतलब महानरेगा श्रमिकों को अब भी वही 163 रू. प्रतिदिन का भुगतान किया जायेगा। जबकि यह सर्वविदित है कि महानरेगा राज्य ही नहीं अपितु राष्ट्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है और राज्य सरकार का इस योजना के श्रमिकों को दरकिनार करना समझ से परे है।

हांलाकि हम जानते हैं कि महानरेगा योजना के लिये राशि आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और केन्द्र द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के अनुसार श्रमिकों को भुगतान किया जाता है। लेकिन इस योजना के कियान्वयन से जुड़े सामाजिक संगठन, कार्यकर्ता एवं संस्थाएं पिछले लम्बे समय से मांग करते रहे हैं कि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी के मामले में नरेगा श्रमिकों से दोहरा व्यवहार ना करे। इनकी मांग है कि महानरेगा के लिये केन्द्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी में शेष राशि राज्य सरकार अपनी तरफ से जोड़कर नरेगा श्रमिकों को भुगतान करे। जिससे राज्य में कम से कम एक न्यूनतम मजदूरी के मामले में तो समरूपता रहे।

राज्य एवं केन्द्र स्तर पर बजट पैरवी

प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारें अपना बजट तैयार करती हैं व बजट के अनुसार ही वर्ष भर सरकार विभिन्न स्रोतों से अपनी आय संकलित कर विभिन्न गतिविधियों हेतु व्यय करती है। बजट तैयार करने से पहले सरकारें अमूमन बड़े व्यापारिक घरानों, कॉर्पोरेट्स एवं कंपनियों तथा उद्योगों के प्रतिनीधियों के साथ विचार–विमर्श करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के साथ आम आदमी की भागीदारी नहीं के बराबर रहती है जिससे बजट में उनकी अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को सरकार उचित स्थान नहीं दे पाती है। ऐसे में समाज के विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों एवं संस्थाओं का बजट से पहले एवं बजट पेश होने के बाद सरकारों के साथ पैरवी करना आवश्यक हो जाता है। ताकि समाज के वंचित समुदायों एवं कमजोर वर्गो की आवश्यकताओं के अनुरुप बजट में उचित स्थान मिल सके।

केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बजट पैरवीः

देश में सरकार के बजट एवं संबन्धित मुद्दों पर राज्य एवं केन्द्र स्तर कई संगठन कार्य कर रहे हैं जो सरकार के बजट एवं संबन्धित नीतियों का समाज के आमजन एवं वंचित वर्गों के परिपेक्ष्य में बजट विश्लेषण करते हैं। साथ ही ये संगठन बजट एवं संबन्धित नीतियों में आमजन की अपेक्षाओं को शामिल करवाने हेतु विभिन्न गतिविधियों जैसे सरकारों के साथ विचार–विमर्श, बजट के संबंध में मांग पत्र, जनप्रतिनीधियों/विधायकों एवं मीडिया आदि के माध्यम से पैरवी करते हैं।

केन्द्र स्तर पर बजट संबंधी मुद्दों पर कई संगठन कार्य करते हैं जिनमें पीपुल्स बजट इनीशीयेटिव (पीबीआई) प्रमुख है जो 400 से अधिक गैर सरकारी संस्थाओं तथा संगठनों का एक समूह है, जो प्रत्येक वर्ष बजट पूर्व राष्ट्रीय कार्यशाला करती है। जिसमें विभिन्न मुद्दों पर कार्य करने वाली देश की कई स्वयंसेवी संस्थाऐं एवं संगठन भाग लेते हैं। पीबीआई का सचिवालय दिल्ली स्थित सेन्टर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलीटी (सीबीजीए) है जो केन्द्र बजट तथा नीतियों का विश्लेषण करने वाली संस्था है। इस कार्यशाला में बजट संबंधी विभिन्न मुद्दों पर इन संगठनों के साथ चर्चा कर बजट के संबंध में विषयवार मांगों एवं अपेक्षाओं का एक मांग पत्र (चार्टर ऑफ डीमांड्स) बनाया जाता है। इस मांग पत्र को सरकार को प्रेषित किया जाता है एवं बजट पेश होने के बाद बजट संबंधी मुद्दों पर जनप्रतिनीधियों (सांसदों एवं विधायकों) तथा मीडिया आदि के माध्यम से पैरवी की जाती है। इसके अलावा केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर कार्य करने वाली कई स्वयंसेवी संस्थायें एवं संगठन अपने संबंधित मुद्दों पर पैरवी हेतु सरकारी बजट संबंधी समस्याओं को शामिल करते हैं।

इसी प्रकार देश के बहुत से राज्यों में बजट संबंधी मुद्दों पर कईं संगठन कार्य कर रहे हैं जो अपने राज्य बजट एवं संबंधित नीतियों का विश्लेषण एवं पैरवी करते हैं। ये संगठन सरकार द्वारा बजट पेश करने से पहले एवं पेश होने के बाद बजट एवं संबन्धित नीतियों में समाज के कमजोर वर्गों, वंचित सामाजिक समूहों एवं आमजन की अपेक्षाओं को बजट में शामिल किये जाने हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पैरवी करते हैं।

विगत 5–6 वर्षों के दौरान बजट पैरवी के परिणामस्वरुप केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की बजट एवं संबंधित नीतियों पर कई प्रभाव देखे जा सकते हैं। जिसमें वर्ष 2012 में जैसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन हेतु कानून बनाना, केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु मसौदा तैयार करना एवं केन्द्र तथा बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा बजट से पुर्व स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श आदि प्रमुख है।

राजस्थान में बजट पैरवीः

इसी प्रकार यदि राजस्थान की बात की जाये तो राज्य में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) करीब 12 वर्षों से सरकार के बजट एवं संबंधित नीतियों का विश्लेषण एवं संबंधित मुद्दों पर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सरकार के साथ पैरवी कर रहा है।

बजट पुर्व पैरवीः अगर बजट पुर्व पैरवी की बात की जाये तो राज्य में बजट पेश होने से पूर्व राज्य में विभिन्न मुद्दों पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ बार्क द्वारा हर वर्ष बजट पुर्व कार्यशाला आयोजित की जाती है जिसमें विभिन्न विषयों पर बजट के परिपेक्ष्य में चर्चा की जाती है। इस कार्यशाला में चर्चा से उभरी अपेक्षाओं एवं मांगों को सरकार एवं संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा विधायकों, जनप्रतिनीधियों एवं मीडिया के माध्यम से भी बजट संबंधी विभिन्न मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जाता है।

बजट पेश होने के बाद पैरवीः बजट पेश होने के तुरंत बाद बार्क द्वारा बजट का विभिन्न सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों तथा कमज़ोर वर्गों एवं सामाजिक समूहों के परिपेक्ष्य में विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद बजट संबंधी मुद्दों एवं समस्याओं को विधायकों, मिडिया एवं अन्य समूहों को उपलब्ध करवाया जाता है। विधायकगण विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान इन विषयों एवं मुद्दों को उठाते हैं एवं मीडिया भी समाचारों के माध्यम से इन मुद्दों को उठाते हैं। राज्य में बजट पैरवी के प्रभावों को बजट निर्माण प्रक्रिया, बजट आवंटन एवं व्यय तथा संबंधित नीतियों पर देखे जा सकते हैं।

शेष पृष्ठ 4 पर...

आगामी बजट (2015-16) में राज्य सरकार से अपेक्षाएँ एवं मांगें

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर द्वारा आगामी राज्य बजट 2015–16 के संबंध में लोगों, जनसंगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की अपेक्षाओं एवं मांगों को जानने हेतु दो कार्यशालाओं (राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय) का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यशाला दिनांक 29–30 अक्टूबर, 2014 को जयपुर में आयोजित की गयी जिसमें राज्य के करीब 65 जनसंगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यशाला दिनांक 19–20 दिसंबर, 2014 को जोधपुर में आयोजित की गयी जिसमें राज्य के करीब (मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के) 45 जनसंगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दोनों कार्यशालाओं में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आगामी बजट के संदर्भ में चर्चा की गयी जिससे विभिन्न विषयों एवं मुद्दों से संबंधित बहुत सी अपेक्षायें एवं माँगें उभर कर आई। यहां इन मांगों एवं अपेक्षाओं को विषयानुसार दिया गया है।

बजट में पारदर्शिता :

1. पारदर्शिता–

- बजट घोषणाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी देने के लिये सी.एम.आई.एस. को आमजन के लिये खोला जाये।
- हर वर्ष पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं का प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाये जिसमें सभी बजट घोषणाओं की वार्षिक प्रगति की जानकारी प्रदान की जाये।
- सरकार सभी विभागों का "परफोरमेंस एवं आउटकम बजट" बनवाना सुनिश्चित करे तथा विभाग उसे विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
- सभी विभागों को आवंटित बजट एवं खर्च का विवरण जिलावार भी उपलब्ध कराया जाये।
- स्थानीय निकायों (शहरी तथा ग्रामीण) को आवंटित वार्षिक बजट के विरूद्ध खर्च की जिलेवार सूचना उपलब्ध करवाई जाये।
- स्थानीय निकायों को आवंटित राशि में प्रत्येक ब्लॉक, ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका, नगर परिषद को आवंटित राशि की अलग अलग जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

2. जेंडर बजट

- जेण्डर बजट विवरण विभागवार और/ या मुख्य शीर्षवार उपलब्ध कराया जाना चाहिये। ताकि सभी विभाग अपनी गतिविधियों को जेण्डर संवेदनशील बना सके।
- वर्तमान जेंडर बजट विवरण में भी किसी एक विभाग के सभी बीएफसी के आंकड़े एक साथ देकर इस विवरण को विभागवार बनाया जा सकता है।
- श्रेणी (A,B,C,D) पूरे योजना / कार्यक्रम को दी जानी चाहिए न कि उनके तीन भागों को।
- लाभार्थियों के लिंगवार ऑकड़े इकठ्ठा किए जाने चाहिए तथा उनको जेण्डर बजट का आधार बनाया जाना चाहिए।

शिक्षा :

1. भौतिक सुविधा :

- सर्व शिक्षा अभियान को आधारभूत संरचना हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाये ताकि जर्जर और असुविधा ग्रस्त विद्यालयों के निर्माण को पूरा किया जा सके।
- ब्लॉक शिक्षा कार्यालय एवं जिला शिक्षा कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ एवं सुविधायें मुहैया करवाई जानी चाहिये, ताकि उनके स्तर के कार्य समय से पूरे किये जा सकें।
- स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु अन्य व्यक्ति नियुक्त किये जायें ताकि शिक्षक अपनी शैक्षिक गतिविधियों को पूरा कर सके।

2. पहुंच

- शिक्षा तक बच्चों की पहुंच को सुगम बनाने हेतु आवश्यक सड़क मार्ग, पुलिया अथवा परिवहन की पुख्ता व्यवस्था की जाये।
- आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय खोले जायें ताकि सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चे भी शिक्षा से सतत् रुप से जुड़ सकें।
- इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में नये अवस्थापन/चकबंदी (Settlement) के बाद बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये हैं अतः उनको विद्यालयों से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किये जायें।
- विद्यालयों के समावेशन के बाद से दूरी बढने के कारण आदिवासी एवं पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये हैं अतः समावेशन की पुनः समीक्षा की जाये।

3. गुणवत्ता :

- सरकारी स्कूल सुविधा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किये जायें। ताकि लोगों का भरोसा सुदृढ़ हो सके।
- विद्यालयों में सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था को ठीक से लागू किया जाये तथा इसके लिये बजट में विशेष प्रावधान किये जायें।

4. पारदर्शिता एवं जबावदेही :

- शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक छः माह में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अपनाई जावे।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल भवनों की दीवारों पर कुछ आवश्यक सूचनायें प्रदर्शित होने का प्रावधान होना चाहिये जैसे कि उस क्षेत्र में कुल बच्चों की संख्या, कुल नामांकित बच्चे, कुल शिक्षा से वंचित बच्चे, कुल स्वीकृत शिक्षकों के पद तथा खाली पद, उनका मासिक वेतन, एसएमसी सदस्यों की सूची और बच्चों को प्राप्त उनके शिक्षा के हक आदि।

स्वास्थ्य एवं पोषण :

1. भौतिक एवं मानवीय सुविधायें :

- राज्य में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं एवं ये किराये के भवनों में चल रहे हैं। साथ ही इन केन्द्रों पर विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं की स्थिति भी बेहद खराब है। अतः आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वयं के भवन सभी सुविधाओं सहित मुहैया करवाये जायें।
- राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य संवर्गों के कई पद रिक्त हैं जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। अतः राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने हेतु सरकार को इस क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर ज़ोर देना चाहिये।
- प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs & CHCs) पर पेयजल, शौचालयों आदि सुविधाओं के साथ सफाई की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- सरकारी चिकित्सा संस्थाओं विशेषकर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सों एवं चिकित्सकों के लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिये।

2. पहुंच

- महिलाओं के प्रसव के दौरान परिवहन हेतु निजी वाहनों का किराया प्रति किमी. बहुत कम प्रदान किया जाता है अतः निजी वाहनों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रति किमी. किराये में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये।

4. गुणवत्ता, निगरानी, जबावदेही एवं अन्य :

- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई समितियों (VHSCs) को क्रियाशील (Active) एवं मजबूत करने के साथ ही सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था हो।
- राष्ट्रीय स्वास्थ गारंटी मिशन (National Health Assurance Mission) में निःशुल्क जांच एवं दवा के साथ स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान हो।
- निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क दवा योजनाओं को सार्वभौमिक (Universal) ही रखा जाये न कि लक्षित (Targeted).
- राज्य में निजी स्वास्थ्य तंत्र (Private Health System) को नियमित (Regulate) किया जाये एवं इस हेतु क्लीनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं नियमन) अधिनियम (Clinical Establishments, Registration and Regulation Act), 2010 को लागू किया जाये।

कृषि एवं पशुपालन :

- राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन केन्द्र (Climate Change Hub) बनाये जायें जिनमें पर्यावरण के साथ कृषि की जानकारी भी प्रदान की जाये।
- राज्य को बीज उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं स्थानीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों को मज़बूत किया जाये।
- किसानों को कृषि उत्पादों की बेहतर कीमतें प्राप्त हो सके इसके लिये एक आयोग का गठन किया जाये।
- राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जैविक खेती के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाये।
- खेती के औजारों, मशीनों एवं यंत्रों पर अनुदान राशि (Subsidy) बढ़ायी जाये।
- कृषि बीमा के मुआवजे हेतु तहसील/खंड(Block) की जगह ग्राम पंचायत (GP) को इकाई माना जाये।
- कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prize) के साथ राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे बोनस को जारी रखा जाये।
- कृषि उपज मंडियों में अनाज मैदान की जगह बढ़ायी जाये तथा मंडियों की प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ इनके कोषों का स्थानीय अंकेक्षण किया जाये।
- सरकार अपनी बीज वितरण ऐजेंसियों को पुनर्जीवित करे।
- अकाल एवं ग्रीष्म ऋतु के दौरान चारा डीपो में बकरियों एवं भेड़ों हेतु भी चारा अनुदान का प्रावधान हो।

खाद्य सुरक्षा :

- प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 2013 को बेहतर ढंग से लागू किया जाये।
- राज्य सरकार ने केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की अनदेखी करते हुये लाभार्थियों की पात्रता हेतु दो प्राथमिकता (प्राथमिक एवं द्वितीयक) सूची तैयार की है, जिससे अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है। सरकार को अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुये स्पष्ट लाभार्थी सूची बनानी चाहिए।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाये।
- खाद्यान की खरीद, भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाये।

बेघर एवं बेसहारा लोग :

- राज्य में बेघर एवं बेसहारा लोगों के लिये नीति बनाई जाये।
- शहरों में रहने वाले बेसहारा एवं बेघर व्यक्तियों हेतु "अरबन शेल्टर स्कीम" चालू की जाये।
- आश्रय ग्रहों (Shelter Homes) में महिलाओं, बच्चों, विकलांगों एवं वृद्धजनों के लिये अलग से सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।
- राज्य में आश्रय गृहों (Shelter Homes) की संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः राज्य के सभी शहरों में आश्रय गृहों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्रम :

1. न्युनतम मजदूरी :

- राज्य में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण गरीमामय जीवन स्तर के आधार पर तय किया जाना चाहिए तथा इसे मंहगाई सूचकांक से जोडा जाना चाहिए।
- महानरेगा के अंतर्गत मजदूरी कम से कम राज्यों की न्युनतम मजदूरी के बराबर हो।
- महानरेगा के अंतर्गत वर्ष में कम से कम 150 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाये।

2. सामाजिक सुरक्षा :

- श्रम विभाग के स्तर पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों के श्रेणीवार पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जाए।
- निर्माण मजदूर बोर्ड के पास करीब 700 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं जो व्यय नहीं हुआ है । अतः इसकी समीक्षा कर बजट व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

महिला :

- घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005 की क्रियांवितिः– इसकी क्रियान्विति के लिए राज्य बजट में निम्न प्रावधान होना जरूरी है।
- हर ब्लाक पर स्वतन्त्र संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के साथ उसका कार्यालय व प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाये।
- जिला व संभाग स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति।
- इस कानून की क्रियान्विति से जुड़े सभी घटक, महिला अधिकारिता, पुलिस, न्यायाधीश, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, डॉक्टर, सरकारी वकील, विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के प्रशिक्षण हेतु बजट आवंटित किया जाये।
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु बजट बढ़ाया जाये।
- कार्यस्थल पर यौन हिंसा निषेध, निवारण व रोकथाम कानून 2013 का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो।
- पुलिस थाने की महिला डेस्क को पूर्णतः क्रियाशील एवं सुचारू रूप से संचालित किया जाये तथा इसके लिये बजट में प्रावधान किये जायें।
- अल्पसंख्यक महिलाओं की मदद व 15 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए बजट प्रावधान हो। हर स्तर पर मोनिटरिंग कमेटी कार्य करे और वह वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे। इसके अलावा भी महिलाओं की जिदंगी से जुड़े कई विषय हैं जिनकी सूची बनाकर उनका भी विश्लेषण होना चाहिए कि कितना बजट प्रावधान है कितनी जरूरत है और उसमें क्या परिवर्तन की संभावना है।
- कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाये।

शेष पृष्ठ 3 पर...

पृष्ठ 2 का शेष आगामी बजट (2015–16) में...

बच्चे :

- बच्चों के संरक्षण संबंधी सेवाओं एवं योजनाओं हेतु बजट बहुत ही कम है अतः बच्चों के संरक्षण हेतु बजट बढ़ाया जाये।
- समन्वित बाल विकास सेवाओं में बजट आवंटन इकाई लागत (Unit Cost) को बढ़ाया जाये।
- समन्वित बाल संरक्षण योजना का बजट बहुत ही कम है अत : इस योजना का बजट बढाया जाये।
- जुवेनाईल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) के अंतर्गत सभी बच्चों को सुधारगृह में एक साथ रखा जाता है। भिन्न आयु समूह के बच्चों को अलग– अलग स्थानों पर रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

विशेष योग्यजन :

- विशेष योग्यजनों के प्रमाण–पत्र बनाने की प्रकिया को प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित किया जाये।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत विशेष योग्यजन को 1 लाख से 5 लाख तक के ऋण देने का प्रावधान है, इस योजना की प्रक्रिया को सरल किया जाये तथा लक्ष्य बढ़ाये जायें।
- सभी प्रकार की बीपीएल योजनाओं में विशेष योग्यजन के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर लाभ दिलाया जावे।

अनुसूचित जाति एवं जनजातिः

- राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शीघ्र ही कानूनी रुप दिया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये प्रत्येक स्तर एक व्यवस्थित आयोजना प्रक्रिया की व्यवस्था हो।
- दोनों उपयोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- राज्य में दोनों उपयोजनाओं को पंचायतराज व्यवस्था (ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों) के बजट में भी लागू किया जाना चाहिये।
- सभी विभागों को दोनों उपयोजनाओं के अन्तर्गत दलितों एवं आदिवासियों को सीधे लाभांवित करने वाली नई योजनाएं आरंभ करनी चाहिये।
- महानरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों की बस्तियों के विकास कार्य किये जाये।
- घुमंतु जातियों के विकास हेतु बने बोर्ड को मजबूत करने के साथ उचित बजट आवंटित किया जाये।
- सम्बल ग्राम योजना का बजट सुव्यवस्थित तरीके से मानदंड के अनुसार व्यय किया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों (विशेषकर लड़कियों के लिए) की संख्या बढ़ायी जाये।

अल्पसंख्यक विकास :

- अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित प्रचार एवं प्रसार किया जाये जिससे उनका लाभ अधिक से अधिक से लोगों तक पहुंचना सुनिशचित हो सके।
- अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में मूलभुत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं सफाई आदि के विकास हेतु विशेष प्रयास किये जायें।
- अल्पसंख्यक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु छात्रवृति योजना को अधिक सुचारू किया जाए तथा लाभान्वितों की संख्या बढ़ायी जाये।
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वार्षिक बजट में समुचित वृद्धि की जाये।

प्रवासी लोगः

- प्रवासी लोगों के लिये कोई नीति या कार्यक्रम नहीं है। अतः एक प्रवासी नीति (Migration Policy) बनाई जाये तथा इनकी आजीविका एवं अन्य अधिकारों को सुनिश्चित किया जाये।
- राज्य सरकार प्रवासी लोगों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के साथ इनके पुनर्वास हेतु नीति एवं योजना बनाये।

सामाजिक सुरक्षा :

- विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि 500 रु. से बढाकर 1000 रु. प्रति माह किया जाये एवं पेंशन की राशि को महंगाई से जोड़कर इसके अनुसार पेंशन की राशि को बढाया जाये।

सड़क, बिजली एवं पानीः

1. सड़क

- गांवो में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के मरम्मत की जिम्मेवारी कम से कम 5 वर्ष तक ठेकेदार की हो।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 150 की आबादी वाली ढ़ाणियों एवं बस्तियों को भी सड़क से जोड़ा जाये।

2. बिजली

- राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना का बजट बढ़ाकर इसके क्रियान्वयन को सुधारा जाये।
- सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बाजार में सौर्य ऊर्जा प्लेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

3. पानीः

- पंचायतों द्वारा भवन निर्माण के दौरान भवनों में जल ग्रहण तंत्र (Water Harvesting System) की स्थापना आवश्यक रुप से की जाये।
- इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के गांवों में पानी के शुद्धीकरण की व्यवस्था की जाये।
- बांधों एवं नहरों से पेयजल वाली योजनाओं का समयबद्ध (Time frame) तरीके से बजट आवंटित किया जाये।
- नलकूपों एवं कुओं को पुनर्जीवित (Revive) करने हेतु पंचायतों को बजट उपलब्ध कराया जाये।
- पेयजल हेतु आर.ओ. (RO Plant) में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाये।
- पेयजल के विकास हेतु निजी कंपनियों को शामिल करने के बजाय सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) पर योजनायें बनाई जाये।
- आपणी योजना एवं जनता जल योजना सरीखी सामुदायिक भागीदारी वाली योजनाओं को विकसित किया जाये।

बार्क द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन, 2015

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) ने 28–29 जनवरी को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन का आयोजन विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में किया। इस सम्मेलन में राज्यभर के कृषि से जुडे लगभग 70 सामाजिक कार्यकताओं एवं संस्था प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का ध्येय राज्य में टिकाऊ कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर ठोस सुझावों को सरकार के सामने रखना था। सम्मेलन के दौरान टिकाऊ कृषि के अलावा कृषि आदान (बीज, खाद, कीटनाशक एवं कृषि ऋण), सिंचाई, पशुपालन, सरकारी योजनाएं, कृषक संस्थाएं तथा अंर्तराष्ट्रीय समझौतों का कृषि पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

प्रो. वी.एस व्यास, पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चिचता व खतरों की तरफ सत्र का ध्यान केन्द्रित किया उन्होंने बताया कि " कृषि से जुड़ी सरकार की नीतियों में बदलाव की अति आवश्यकता है क्योकि अनाज की मांग एव खरीद अधिक होने पर भी किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है।" इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए सरकार द्वारा किसान हाट आयोजित करने की बात कही तथा सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं को किसानों की विक्रय क्षमता सुधारने के लिए क्षमतासंवर्धन प्रशिक्षण देने का आह्वान किया।

सम्मेलन के दौरान टिकाउ कृषि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सिकोईडिकॉन के आलोक व्यास ने हर कृषि जलवायु क्षेत्र में कम से कम एक किसान हब बनाने का सुझाव रखा तथा सरकार से कृषि एवं ज्ञान चौपालों को किसानों के साथ जोडने की मांग रखी। कार्यशाला प्रतिभागियों ने एकमत से परंपरागत बीजों को बचाने एवं बढ़ावा देने की सरकार से माँग की।

मोरारका संस्थान के प्रीतम तिवारी ने कृषकों को जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही तथा कृषि आदान पर आस्था संस्थान के श्यामलाल मेनारिया एवं कट्स के राम कुमार झा ने बताया कि भारत आज खाद्यान के नजरीये से आत्म निर्भर है लेकिन बीज तथा खाद के मामले में काफी पीछे है।

राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के संयुक्त निदेशक जगदीश जी ने राज्य में सिंचाई की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया तथा बताया कि राजस्थान के पास भारत की भूमि का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है परन्तु भारत के कुल पानी का केवल 1.5 प्रतिशत ही है।

प्रोफेसर एम.एस.राठौड़ ने कृषि से जुड़ी नीतियों को सिंचाई की नीतियों के साथ जोड़े जाने का सुझाव दिया। पशुपालन एवं आजीविका के विषय पर बायफ संस्था के रामचरण चौधरी ने पशुपालन में सुधार लाने की आवश्कता पर जोर दिया।

सी.बी.जी.ए के नीलाचल आचार्य ने कृषि संबंधित योजनाएं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना तथा महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रमों पर विश्लेषण प्रस्तुत किया।

ग्रामीण डवलपमेंट सर्विसेज के बद्री नारायण तिवारी तथा अरावली के अंबुज किशोर ने कृषक संस्थाएं जैसे कृषि मण्ड़ी, अनाज मण्ड़ी, सहकारी समितियां एवं उत्पादक कंपनियों के बारे में बताते हुए कहा कि छोटे एवं सीमांत किसानों को इन संस्थानों के साथ जुड़कर बेहतर तरीके से अपने अनाज को बेचना चाहिये तथा किसानों की क्रय विक्रय एवं कृषि आदानों से जुड़े निर्णयों को बेहतर ढंग से लेने के लिए क्षमता वर्धन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क से आयी रन्जा सैन गुप्ता ने बताया कि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए खाद्य सुरक्षा अति आवश्यक है उन्होंने बताया की भारत में उत्पादन से बड़ी समस्या अनाज के वितरण की है। उनके अनुसार सरकार को अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते करने से पहले किसानों के हितों एवं देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

बार्क द्वारा आयोजित इस कृषि सम्मेलन से उभरे मांगों एवं अपेक्षाओं को केन्द्र द्वारा व्यवस्थित करते हुए शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंपा जायेगा।

भूमि अधिग्रहण हुआ आसान, किसानों की सहमति तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययन के प्रवाधान हटाने का अध्यादेश

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ''भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' में संशोधन लाने के लिये कैबिनेट की मंजूरी के साथ एक अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश के जरिये 2013 के मूल कानून को औद्योगिक विकास के लिये बेहद लचीला बना दिया गया है परन्तु इसके लिये जिन किसानों, गरीबों व छोटे भू–स्वामियों की भूमी का अधिग्रहिण किया जायेगा, उनकी सहमती के प्रावधान को 5 प्रकार की परियोजनाओं से पूरी तहर से हटा दिया गया है।

अध्यादेश के जरिये 2013 के मूल कानून में खण्ड 3 (ए) अनुछेद 10 (ए) को जोड़ा गया है जिसके माध्यम से पाँच प्रकार की बड़ी परियोजनओं को मूल कानून में शामिल खाद्य सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव अध्ययन व पूर्व सहमति के प्रावधानों से छूट दी गयी है। सरकार के अनुसार ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि सामाजिक प्रभाव अध्ययन तथा पूर्व सहमति की लंबी व विस्तृत प्रक्रिया होने के कारण उद्योग जगत तथा राजस्थान सरकार सहित और कई राज्य सरकारें 2013 के कानून का विरोध कर रही थी तथा 1 जनवरी 2014 को इस कानून के लागू होने के बाद सभी अधिग्रहण लगभग रूक गये थे।

भूमि अधिग्रहण को सरल तथा लचीला बनाने के घोषित उद्देश्य से लाये गये इस अध्यादेश के द्वारा निन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिये मूल कानून के खाद्य सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव अध्ययन व पूर्व सहमति के प्रावधान की कानूनी बाध्यता को समाप्त कर दिया हैः 1. राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा उत्पादन, 2. ग्रामीण आधारभूत संरचना (बिजली, सड़क आदि), 3. सस्ते आवास और गरीबों के लिये घर, 4. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा 5. आधारभूत संरचना के पीपीपी निजी–सार्वजनिक भागीदारी की परियोजनायें। ध्यान रहे, 2013 के मूल कानून में हर प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित ना करने व सामाजिक प्रभाव अध्ययन को आनिवार्य रखा गया था तथा निजी–सार्वजनिक भागीदारी के परियोजनों के लिये ली जा रही भूमि के लिये 70 प्रतिशत एवं निजी कंपनियों के लिए ली जा रही भुमि के लिये 80 प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति लेना जरूरी था। इस अध्यादेश के बाद बहु–फसली भूमि का अधिग्रहण भी किया जा सकेगा जिसका मतलब है कि भूमि चाहे कितनी भी उपजाऊ हो, खाद्य सुरक्षा को नाकार कर पूर्वकथित पाँच परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण किया जायेगा, जबकि मूल कानून में इसकी अनुमति नहीं थी। अध्यादेश के माध्यम से निजी कंपनी की परिभाषा को विस्तृत किया गया है तथा "निजी कंपनी" की जगह "निजी संस्था" (entity) शब्द का प्रयोग किया जायेगा।

महत्तवपूर्ण बात यह है कि देश में पहले से ही 13 ऐसे कानून हैं जिनके अंर्तगत भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो 2013 के कानून के पुनर्वास एवं पुनः स्थापन तथा मुआवज़ा को छोड़कर सभी प्रावधानों से इन कानूनों को छूट दी गयी थी। इस अध्यादेश के माध्यम से अब इन 13 कानूनों पर पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के सभी प्रावधानों को लागू किया गया है परन्तु पहले की तरह ही खाद्य सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव अध्ययन व पूर्व सहमति के प्रावधान इन कानुनों के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण पर लागू नहीं होगें तथा पाँच और प्रकार की परियोजनओं को भी इन प्रावधानों से छूट दी गयी है। यह 13 कानून जिनमें परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962, भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम 1978, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957, भूमि अर्जन खान अधिनियम, 1885 आदि शामिल हैं के साथ पाँच तरह की बड़ी एवं विस्तृत परियोजनाओं को छूट देने के बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा भू–अर्जन करने वाले सभी मामलों को अब खाद्य सुरक्षा, पुर्व सहमति तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययन जैसे महत्तवपूर्ण प्रावधानों से छुट मिल गई है तथा भुमि अधिग्रहण कानून अब केवल बढ़ा हुआ मुआवजा, जिसपर राज्य सरकार फैसला करेंगी, तथा बिना सामाजिक प्रभाव अध्ययन के ही पुर्नवास तथा पुनः स्थापन तक सीमित हो गया है।

राजस्थान में जेण्डर बजट का विश्लेषण

राजस्थान सरकार ने 2006–07 में पहली बार, राजस्व विभाग सहित, अपने 6 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया एवं इसके बाद 2007–08 में भी 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया। वर्ष 2009 में महिला एवं विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी तथा 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी । अगस्त 2011 में जारी किये गये बजट सर्कुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। अगले वर्ष राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की गई।

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	<70%
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

लेकिन श्रेणी कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना मदों को अलग–अलग दिया गया।

राज्य का जेण्डर बजट 2014–15 का विश्लेषण

- फरवरी माह में विधानसभा में पेश किये गये अंतरिम जेण्डर बजट में बीते वर्ष के जेण्डर बजट की ही तरह फिर से बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। यह बजट जुलाई माह में पारित पूर्ण बजट के साथ दोबारा पेश नहीं किया गया था।
- जेण्डर बजट का अध्ययन करके ज्ञात होता है कि 2014–15 में राज्य के कुल बजट में योजना खर्च के जेण्डर घटक में लगभग 4% तक की वृद्धि हुई है जबकि गैर योजनागत एवं केंद्र प्रायोजित योजना खर्च के जेण्डर घटक में खर्च में वर्ष 2013–14 की तुलना में कमी आयी है।

सारणी 2 : राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का प्रतिशत

वर्ष	गैर योजना खर्च	योजना खर्च	केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च
2012–13	19.14	32.97	50.82
2013–14	19.94	35.24	54.33
2014–15	18.62	38.99	46.18

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

- वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उन पर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ निशचित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बी.एफ.सी वार दी गयी है जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को कोई भी एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निशचित रूप से नहीं कहा जा सकता।

सारणी 3 : जेण्डर बजट विवरण 2012–13, 2013–14 एवं 2014–2015 के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण।

	A			B			C			D			कुल		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
गैर योजना	28	29	22	145	211	185	17	105	107	38	27	37	228	372	351
प्रतिशत	12.28	7.79	6.26	63.60	56.72	52.7	7.45	28.22	30.48	16.66	7.25	10.54	100	100	100
योजना	61	79	72	318	405	453	136	134	162	82	58	38	597	676	725
प्रतिशत	10.21	11.68	9.93	53.26	59.21	62.48	22.78	19.82	22.34	13.73	8.57	5.24	100	100	100
केंद्र प्रवर्तित योजना	11	11	19	39	78	39	22	19	27	11	31	25	83	139	110
प्रतिशत	13.25	7.91	17.27	46.98	56.11	35.45	26.50	13.66	24.54	13.25	22.3	22.72	100	100	100

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

- जेण्डर बजट विवरण के अनुसार जेण्डर बजट के योजना खर्च में बी एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 3% तक की वृद्धि हुई है जबकि ए एवं डी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 3% तक की कमी आयी है।
- इसी तरह गैर योजनागत खर्च में ए एवं बी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 2–4% तक की कमी आयी है तथा सी एवं डी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 2–4% तक की वृद्धि हुई है।
- केंद्र प्रायोजित योजना खर्च में ए एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में 10% तक की वृद्धि हुई है लेकिन बी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 20% तक की कमी आयी है तथा डी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में कोई अन्तर नहीं है।

जेण्डर बजट विवरण की समस्याएँ

- जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (BFC) वार सूचना दी गयी है।
- लेकिन सरकार के बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि किस विभाग में कितनी BFCs हैं, इसलिए किसी विभाग के बारे में कुछ निशचित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निशचित रूप से नहीं कहा जा सकता।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को श्रेणी लाभान्वितों में महिलाओं के अनुपात के आधार पर दिया गया है, परंतु विभागों के पास लिंग वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
- तीनों बिजली वितरण कंपनियों के लिए आवंटित बजट में जेण्डर बजट का हिस्सा 40 प्रतिशत दिखाया गया है जो केवल अनुमान आधारित ही हो सकता है।
- पिछले वर्ष के जेण्डर बजट की वास्तविक स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं होता है।
- उसी तरह पंचायतों को आवंटित राशि के लिए भी बी श्रेणी दी गयी है तथा इसमें जेण्डर बजट का हिस्सा 42–45% दिखाया गया है। परन्तु यह राशि पंचायतों द्वारा खर्च की जानी है अतः इसमें महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत अभी पाना मुश्किल है।
- यह स्पष्ट नहीं है की किन मामलों में स्त्री एवं पुरूष लाभार्थियों के लिए ऑकड़े उपलब्ध हैं तथा किन मामलों में यह अनुमान आधारित है।
- यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि महिला लाभार्थियों का दिया गया प्रतिशत पिछले वर्ष (2011–12) के ऑकड़ों पर आधारित है यह चालू वर्ष (2012–13) के लिए लक्ष्य है।

पृष्ठ 1 का शेष **राज्य एवं केन्द्र स्तर पर बजट पैरवी**

बजट पैरवी के प्रभाव :

राज्य में बजट एवं संबंधित नीतियों पर सरकार के साथ बजट पैरवी से राज्य एवं केन्द्र स्तर पर सरकार की बजट आवंटन एवं संबंधित नीतियों तथा बजट निर्माण प्रक्रिया में लोगों की समझ एवं भागीदारी के रुप में अनेक प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे बजट में वंचित वर्गों **(जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना)** हेतु आवंटन में बढ़ोतरी, बजट बनाने से पहले स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ परिचर्चा एवं सरकार द्वारा बजट के संबध में सुझाव आमंत्रित करना आदि प्रमुख है। राज्य में सरकार के साथ बजट पुर्व पैरवी के प्रभावों को निम्न रुप में देखा जा सकता है:

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के आवंटन में बढ़ोतरी :

गौरतलब है कि देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनायों की रणनीति दलितों एवं आदिवासियों के समग्र विकास हेतु 5वीं पंचवषिय योजना में अपनाई गयी। जिसके अनुसार हर सरकार का अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में आवंटित कर इन वर्गों के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं हेतु व्यय किया जाना चाहिये। लेकिन देश के बहुत से राज्यों की तरह राजस्थान में भी दोनों उपयोजनाओं के तहत आवंटन एवं इनका क्रियांवयन बहुत ही कमजोर था लेकिन इस मुद्दे पर बार्क द्वारा विधायकों, मीडिया तथा दलित एवं आदिवासी संगठनों के माध्यम से लगातार सरकार से पैरवी के परिणामस्वरुप राज्य में दोनो उपयोजनाओं के आवंटन में विगत 5–6 वर्षों में काफी बढोतरी हुई है। हालांकि दोनों उपयोजनाओं के तहत आवंटन अभी भी मानदंड से काफी कम है लेकिन फिर भी दोनों उपयोजनाओं के तहत विगत वर्षों में हुई बढ़ोतरी को सराहनिय कहा जा सकता है।

2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना कानून हेतु मसौदा विधेयक :

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य की पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का प्रारूप तैयार किया था, जिसका नाम अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना(वित्तीय संसाधनों की प्लानिंग, आवंटन एवं उपयोगिता) विधेयक 2013 रखा गया है। जो अनुसूचित जाति तथा अनजाति उपयोजनाओं को कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मसौदा विधेयक को कानूनी रुप नहीं दिया है।

3. सरकार द्वारा बजट से पूर्व स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ परिचर्चा :

राज्य में विगत 6–7 वर्षों से सरकार ने बजट पूर्व स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के प्रतिनीधियों के साथ परिचर्चा करना भी शुरु किया है। जिसमें सरकार राज्य में विभिन्न मुद्दों पर कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं एवं संगठनों के बजट के संबंध में सुझाव, मांगे एवं अपेक्षाओं को जानती है। हालांकि यह बात अलग है कि सरकार इन सुझावों पर कितना अमल करती है एवं किस हद तक इनको बजट में स्थान देती है लेकिन फिर भी सरकार का यह कदम "बजट से पूर्व स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ परिचर्चा" काफी सराहनीय है।

4. वित्त विभाग द्वारा वेसाईट के माध्यम से सुझावः

सरकार द्वारा बजट से पूर्व स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ परिचर्चा के अलावा सरकार के वित्त विभाग द्वारा गत वर्ष से अपनी वेबसाईट (http://finance.rajasthan.gov.in/bs1516/bs1516.aspx) के माध्यम से बजट पेश करने से पहले बजट संबंध में आम लोगों से सुझाव लेना शुरु किया है। इस माध्यम से कोई भी व्यक्ति बजट के संबंध में अपने सुझाव पेश कर सकता है।

5. बजट में पारदर्शिता :

विगत वर्षों में बजट पारदर्शिता की दिशा में सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाये हैं जिसमें वर्ष 2012–13 से सरकार ने जेंडर बजट हेतु जेंडर बजट विवरण (जीबीएस) देना शुरु किया है। इसके अलावा गत वर्ष से सरकार ने राज्य बजट की जानकारी विभागवार एवं योजनावार उपलब्ध करवाने हेतु दो अतिरिक्त पुस्तकें– सारगर्भित बजट विवरण भाग 1 एवं सारगर्भित बजट विवरण भाग 2 उपलब्ध करवाना शुरु किया है। साथ ही वर्ष 2011–12 से बजट संबंधी सारे आंकड़ों एवं पुस्तिकाओं को वित्त विभाग ने अपनी वेबसाईट(http://finance.rajasthan.gov.in/aspxfiles/statebudget.aspx) पर देना शुरु किया है। अतः विगत 3–4 वर्षों में सरकार ने बजट में पारदर्शिता हेतु कुछ सराहनीय कदम उठाये हैं फिर भी बजट भी पारदर्शिता की दिशा में अभी बहुत से और सुधारों की आवश्यकता है।

अतः इस प्रकार से राज्य एवं केन्द्र स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सरकार से साथ बजट पैरवी एवं इसके परिणामों को देखा जा सकता है। हालांकि बजट पर सरकार के साथ पैरवी की दिशा में अभी भी बहुत से प्रयासों की आवश्यकता है। बावजूद इसके विगत कुछ वर्षों में बजट पैरवी के परिणामस्वरुप सरकार की बजट निर्माण प्रक्रिया एवं संबंधित नीतियों में जनसंगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी कुछ हद तक बढ़ी है जो बजट प्रक्रिया में आमलोगों की बढती भागीदारी को इंगित करती है।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– बरखा माथुर
सहयोग – अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....